पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

किट्टी नवानी उर्फ किशोर नवानी

बनाम

बिहार राज्य एवं बुद्धिस्ट थाई भारत सोसाइटी

2024 आपराधिक विविध संख्या 27343

17 जून 2025

(माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र शेखर झा)

विचार के लिए मुद्दा

क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 504, 420 तथा 120-बी के तहत संज्ञान लेते हुए दर्ज शिकायत वाद के समस्त आपराधिक कार्यवाही को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत रद्द किया जा सकता है?

हेडनोट्स

याचिकाकर्ता के उद्घोषित फरार अपराधी होने की स्थिति, न्यायिक प्रक्रिया में असहयोग तथा उपलब्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करने से इंकार कर दिया। (अनुच्छेद 23), **याचिका खारिज की जाती है। (अनुच्छेद 24)**

न्याय दृष्टान्त

हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, *1992 पूरक (1) एस सी सी 335,* सीबीआई बनाम आर्यन सिंह एवं अन्य, *(2023) 18 एस सी सी 399,* मध्यप्रदेश राज्य बनाम प्रदीप शर्मा, *(2014) 2 एस सी सी 217,* **श्रीकांत उपाध्याय एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, *2024 आई एन एस सी 202***

अधिनियमों की सूची

भारतीय दंड संहिता, 1860 — धारा 406, 504, 420, 120-बी, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 — धारा 482, सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860

मुख्य शब्दों की सूची

कार्यवाही रद्द, आपराधिक विश्वास भंग, निधियों का दुरुपयोग, धोखाधड़ी, अनुसूचित जाति भूमि, दोहरा पासपोर्ट, उद्घोषित अपराधी, समाज का आंतरिक विवाद

प्रकरण से उत्पन्न

शिकायत वाद संख्या 2042/2014, थाना - बोधगया, जिला - गया

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता की ओर से: श्री पी.एन. शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री ऋषिराज रमन, अधिवक्ता

राज्य की ओर से: श्री अनुज कुमार श्रीवास्तव, अपर लोक अभियोजक

प्रति-पक्ष संख्या 2 की ओर से: श्री राणा विक्रम सिंह, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट्स बनाया गया: अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2024 का आपराधिक विविध संख्या 27343

थाना कांड संख्या-2042 वर्ष-2014 थाना-गया शिकायत मामला, जिला- गया से उत्पन

==========

किट्टी नवानी उर्फ किशोर नवानी पिता स्वर्गीय मोहन लाल नवानी निवासी 12/5, एसओआई 33 सुखमुनिट रोड, क्लोंगटन नुआ, वट्टन, बैंकॉक थाईलैंड डांग उडोम, क्लोंगटन नुआ, जिला-वालटाना, बैंकॉक-10110 थाईलैंड

.....**याचिकाकर्ता**

बनाम

1. बिहार राज्य
2. बौद्ध थाई भारत सोसाइटी, अपने महासचिव रत्नेश्वर चकमा, पिता- श्री सनरी कुमार चकमा के माध्यम से; पंजीकृत कार्यालय गांव- मस्तीपुर, मुख्य मंदिर के दक्षिण, थाना- बोधगया, बौद्ध थाई भारत सोसाइटी; निवासी, गांव- मस्तीपुर, मुख्य मंदिर के दक्षिण, थाना- बोधगया, जिला - गया, पिन 824231

..... **विपक्षी पक्ष**

==========

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता की ओर से	:	श्री पी.एन. शाही, वरिष्ठ अधिवक्ता
		श्री ऋषि राज रमन, अधिवक्ता
राज्य की ओर से	:	श्री अनुज कुमार श्रीवास्तव, अ.लो.अ.
ओपी संख्या 2 की ओर से	:	श्री राणा विक्रम सिंह, अधिवक्ता

==========

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति चंद्र शेखर झा

सीएवी निर्णय

दिनांक: 17-06-2025

वर्तमान निरस्तीकरण आवेदन/याचिका, शिकायत वाद संख्या 2042/2014 से उत्पन्न संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त करने के लिए याचिकाकर्ता की ओर से दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में 'द.प्र.स') की धारा 482 के तहत प्रस्तुत की गई है, जिसमें विद्वान ए.सी.जे.एम., गया की अदालत द्वारा याचिकाकर्ता/आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में 'भ.द.स') की धारा 406, 504, 420 और 120-बी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए संज्ञान लिया गया है।

2. शिकायत मामले में लगाए गए आरोपों से पता चलता है कि **"बौद्ध थाई भारत सोसाइटी"** (संक्षेप में 'सोसाइटी') एक धर्मार्थ कल्याणकारी सोसाइटी है जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत विधिवत पंजीकृत है, जहां याचिकाकर्ता को शुरू में सोसाइटी के सदस्य के रूप में शामिल किया गया था, जिन्होंने समय के साथ अपने महासचिव का चुनाव किया। यह आरोप लगाया गया है कि सोसाइटी के महासचिव की हैसियत से याचिकाकर्ता ने दुर्भावनापूर्ण इरादे से कई अवैध कार्य किए, जिससे सोसाइटी को गलत नुकसान हुआ और खुद को गलत लाभ हुआ। यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता ने व्यक्तिगत हैसियत में सोसाइटी के लिए किए गए दान और योगदान प्राप्त किए और बाद में उक्त धन को सोसाइटी को दिए गए ऋण के रूप में दिखाकर सोसाइटी के खाते में स्थानांतरित कर दिया और इस प्रकार, उसने आपराधिक विश्वासघात किया और सोसाइटी के फंड का दुरुपयोग भी किया। वर्ष 2008-09 की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार, रु 25,28,646/- की राशि को सोसायटी को ऋण के रूप में दिखाया गया था, जबकि वास्तव में, उक्त राशि विभिन्न दाताओं द्वारा सोसायटी को दान की गई थी। यह भी आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता ने सोसायटी के शासी निकाय में अपने लोगों का बहुमत हासिल करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से अपने रिश्तेदारों को शामिल किया और इस तरह, अपने

गलत व्यक्तिगत लाभ के लिए सोसायटी के लोकतांत्रिक ढांचे को बदल दिया। यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता ने साजिश के तहत बेईमानी से सोसायटी के कई मूल दस्तावेज, रजिस्टर, स्वीकृत भवन योजना, बैंक पासबुक, बैंक स्टेटमेंट, चेक बुक आदि हटा दिए और बार-बार अनुरोध के बावजूद उन्हें ओ.पी. नंबर 2 को वापस नहीं किया और बेईमानी से चोरी की। याचिकाकर्ता और आरोपी नंबर 2 ने आम सभा की बैठक नहीं बुलाई और चुनाव नहीं कराए। यह भी आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता ने भारत सरकार से अपने लिए गलत लाभ प्राप्त करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से अपने पासपोर्ट में अपने व्यक्तिगत विवरण के संबंध में धोखाधड़ी और जालसाजी की। कथित तौर पर, याचिकाकर्ता थाईलैंड का नागरिक है और उसके पास दो पासपोर्ट हैं, जिनमें उसकी जन्म तिथि एक ही है यानी 18.11.1947, लेकिन जन्म स्थान के बारे में घोषणा में उसने अपने एक पासपोर्ट में जन्म स्थान के रूप में भारत के करांची का उल्लेख किया है और दूसरे पासपोर्ट में इसे 'बैंकॉक' (थाईलैंड) बताया गया है। यह भी आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता और अभियुक्त संख्या 2, अर्थात् सरजू प्रसाद की गतिविधियों का ओ.पी. संख्या 2 और सोसायटी के अन्य सदस्यों द्वारा विरोध किया गया था, क्योंकि उन्होंने सोसायटी के नियमों और विनियमों को धोखाधड़ी से जोड़ दिया था ताकि वे स्थायी रूप से शासी निकाय के पदाधिकारी/सदस्य बन सकें, जिसे सोसायटी के सदस्यों को सूचित किए बिना वर्ष 2014 में सोसायटी के ज्ञापन में डाला गया था, लेकिन इसे धोखाधड़ी से 29.02.2008 की पूर्व तिथि दिखाते हुए जोड़ दिया गया था, जिसकी सूचना आई.जी. रजिस्ट्रेशन, पटना को 07.04.2014 को दी गई थी। यह भी आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता ने अभियुक्त संख्या 2 के साथ मिलकर षडयंत्र रचते हुए 15.05.2014, 16.06.2014 और 24.07.2014 को बोधगया में कई एकड़ परवाना भूमि खरीदी, जिसमें अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों को धोखा दिया गया, जिन्हें सरकार द्वारा भूमि दी गई थी। यह बताया गया है कि उपरोक्त सभी खरीद में याचिकाकर्ता ने खुद को भारत का नागरिक बताया, जबकि वास्तव

में वह थाईलैंड का नागरिक है और इस प्रकार उसने सरकारी प्राधिकारी के साथ भी धोखाधड़ी की। आगे यह भी आरोप लगाया गया है कि समाज के सदस्यों की बार-बार मांग पर, समाज की वार्षिक आम बैठक 25.10.2024 को आयोजित की गई, जिसमें रत्नेश्वर चकमा को सर्वसम्मति से समाज का सचिव (ओपी संख्या 2) चुना गया और उसके बाद उन्होंने 07.11.2014 को कार्यभार संभाला। याचिकाकर्ता एवं अभियुक्त संख्या 2 ने उक्त बैठक में भाग नहीं लिया। सचिव का कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात ओ.पी. संख्या 2 ने याचिकाकर्ता से सोसायटी के दस्तावेज सौंपने की मांग की, लेकिन उन्होंने सोसायटी के संबंधित दस्तावेज ओ.पी. संख्या 2 को लौटाने के बजाय दिनांक 25.11.2014 को अत्यंत अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए पत्र लिखा। इसी बीच सोसायटी को ज्ञात हुआ कि अभियुक्तगण ने कुछ अजनबियों, जो सोसायटी के सदस्य नहीं हैं, के माध्यम से मुंसिफ-द्वितीय, गया के न्यायालय में टाइटल सूट संख्या 81/2014 संस्थित करवा लिया, जिसके पश्चात ओ.पी. संख्या 2 दिनांक 01.12.2014 को सूट में उपस्थित हुए तथा विद्वान न्यायालय से उन्हें आवश्यक प्रतिवादी के रूप में जोड़ने का अनुरोध किया। आरोप है कि जब आरोपियों को ओ.पी. नंबर 2 द्वारा उठाए गए इस कदम के बारे में पता चला, तो उन्होंने दो अज्ञात व्यक्तियों को भेजा, जिन्होंने ओ.पी. नंबर 2 को 02.12.2014 को शाम 6:00 बजे मंदिर जाते समय रोक लिया और उसे धमकी दी कि अगर उसने याचिकाकर्ता और आरोपी नंबर 2, सरजू प्रसाद के खिलाफ कोई कदम उठाया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने ओ.पी. नंबर 2 को सोसायटी से इस्तीफा देने की भी धमकी दी, अन्यथा वे उसे और सोसायटी के सहयोगी/सदस्य पी. बोधानंद मुन्नी को मार देंगे।

3. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री पी.एन. शाही द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान शिकायत सोसायटी द्वारा अपने तथाकथित महासचिव रत्नेश्वर चकमा के माध्यम से दायर की गई है। प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता पर मुकदमा चलाने के लिए सोसायटी का कोई संकल्प शिकायत याचिका के साथ संलग्न नहीं

है, इसलिए वर्तमान अभियोजन को सोसायटी के महासचिव की हैसियत से शुरू नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसे रत्नेश्वर चकमा की व्यक्तिगत शिकायत माना जा सकता है, जो शुरू से ही याचिकाकर्ता के प्रति पक्षपातपूर्ण और विभाजनकारी दृष्टिकोण रखते हैं। इसलिए, केवल इसी आधार पर, भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 504, 420 और 120-बी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए विद्वान ए.सी.जे.एम.-द्वितीय, गया द्वारा लिया गया संज्ञान कानून की नजर में गलत प्रतीत होता है और इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए।

4. श्री शाही ने यह भी कहा कि शिकायत याचिका के अधिकांश गवाह सोसायटी के सदस्य नहीं हैं और वे बाहरी लोग हैं, जिन्हें आंतरिक खाते के बारे में कोई जानकारी नहीं है। श्री शाही ने वर्ष 2008-09 की ऑडिट रिपोर्ट को सही ठहराते हुए कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा सोसायटी को 25,28,644 रुपये की राशि के लिए ऋण दिया गया था और थाईलैंड से कस्टम क्लीयरेंस के तहत अमेरिकी डॉलर में उक्त राशि प्राप्त की गई थी और बैंक में राशि जमा करने और इसे भारतीय मुद्रा में परिवर्तित करने पर सोसायटी को ऋण दिया गया था। ऑडिट रिपोर्ट को सोसायटी की कार्यकारी समिति द्वारा पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है। यह भी कहा गया है कि यह एक बहुत ही सामान्य प्रकार का आरोप है, क्योंकि शिकायतकर्ता एक भी दानकर्ता को इंगित करने में विफल रहा, जिसने याचिकाकर्ता के व्यक्तिगत खाते में दान दिया हो। यह भी कहा गया है कि उक्त धन का लेन-देन अधिकृत एजेंट, अर्थात् 'थॉमस कुक' के माध्यम से किया गया था। श्री शाही ने आगे कहा कि जहां तक मूल दस्तावेज, रजिस्टर, बिल्डिंग प्लान, बैंक पासबुक, बैंक स्टेटमेंट, चेक बुक आदि वापस न करने का आरोप है, यह तथ्य के मद्देनजर टिकने लायक नहीं लगता कि ये सभी दस्तावेज सोसायटी के कार्यालय में रखे गए थे, लेकिन जब याचिकाकर्ता भारत में उपलब्ध नहीं था, तब ये चोरी हो गए। चोरी की घटना की सूचना याचिकाकर्ता को फोन पर एक "खायाप" ने दी, जिसने याचिकाकर्ता को घटना की तस्वीरें भी भेजीं, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने सोसायटी के अधिकारी को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया।

5. आगे तर्क देते हुए, श्री शाही ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा अपने पासपोर्ट में जन्म स्थान के बारे में अपने व्यक्तिगत विवरण को छिपाने के बारे में धोखाधड़ी और जालसाजी के बारे में तीसरा और मुख्य आरोप भी गलत और निराधार प्रतीत होता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि इसी मुद्दे के संबंध में, शिकायतकर्ता ने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष डब्लू पी (सी) संख्या 7190/2016 के तहत एक रिट आवेदन दायर किया था, जहां याचिकाकर्ता ने अपने जवाबी हलफनामे के माध्यम से पूरी सच्चाई बताई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका जन्म विभाजन से पहले कराची में हुआ था और विभाजन के बाद, उनका परिवार सामूहिक प्रवास के दौरान भारत आ गया था। प्रवास के बाद, उनका परिवार पुणे में बस गया, जहाँ याचिकाकर्ता ने अपनी पढ़ाई पूरी की और उन्हें भारतीय पासपोर्ट जारी किया गया, जिसके आधार पर वे व्यवसाय के उद्देश्य से वर्ष 1965 में थाईलैंड गए। कुछ समय बाद उन्होंने थाईलैंड की नागरिकता के लिए आवेदन दिया, जिसे वर्ष 1983 में स्वीकार कर लिया गया और उसके बाद उन्होंने अपना भारतीय पासपोर्ट भारतीय दूतावास को सौंप दिया। थाई पासपोर्ट प्राप्त करने के बाद उन्होंने 10.08.2007 को प्रवासी भारतीय नागरिक कार्ड प्राप्त किया। थाई पासपोर्ट के नवीनीकरण के दौरान टाइपोग्राफिकल त्रुटि के कारण याचिकाकर्ता का जन्म स्थान 'भारत' के स्थान पर 'बैंकॉक' लिख दिया गया था। जब यह मामला थाई सरकार के संज्ञान में लाया गया तो इसे तुरंत ठीक कर दिया गया और नया पासपोर्ट भी जारी कर दिया गया, जिसमें जन्म स्थान सही रूप से भारत लिखा गया है। विदेश मंत्रालय द्वारा उपर्युक्त रिट याचिका में इन सभी सुधारों को विधिवत स्वीकार कर लिया गया था और उक्त तथ्य के आधार पर शिकायतकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका 23.05.2017 को वापस ले ली गई थी और, इसलिए, इस आरोप को इस शिकायत याचिका के माध्यम से फिर से उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। डब्लूपी (सी) संख्या 7190/2016 में पारित दिनांक 23.05.2017 के आदेश के मद्देनजर इस तरह के आरोप लगाना केवल शिकायतकर्ता/ओपी संख्या 2 के

याचिकाकर्ता के प्रति दुर्भावनापूर्ण दृष्टिकोण को दर्शाता है, यह सुझाव देता है कि वर्तमान शिकायत केवल याचिकाकर्ता की छवि को धूमिल करने के लिए गुप्त और अप्रत्यक्ष उद्देश्य से लाई गई थी, जिन्होंने कई वर्षों तक समाज की सेवा की और अपनी सभी प्रतिबद्धताओं को पूरा किया।

6. श्री शाही ने आगे कहा कि जहां तक सोसायटी के नियमों और विनियमों में प्रावधानों को पूर्व-निर्धारित करने, सोसायटी के शासी निकाय को स्थायी निकाय बनाने के संबंध में आरोप का संबंध है, वह भी आई.जी. पंजीकरण द्वारा अपने पत्र संख्या 345 दिनांक 07.04.2014 के तहत जारी प्रमाण पत्र के मद्देनजर गलत और निराधार प्रतीत होता है, जिसमें उक्त संशोधन दिनांक 29.02.2008 और 31.03.2008 की आम सभा की बैठक के प्रस्ताव के आधार पर किया गया था।

7. प्रस्तुत है कि उक्त संकल्प की एक प्रति आई.जी. निबंधन के कार्यालय से आर.टी.आई. के तहत प्राप्त की गई थी, जो सहायक निरीक्षक, महापंजीयन, पटना, बिहार के कार्यालय से जारी पत्र संख्या 470 दिनांक 15.05.2014 के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है, जिसके अवलोकन के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि इस पर याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं। पूर्व तिथि निर्धारण संबंधी आरोप भी गलत है, क्योंकि संकल्प प्रस्तुत करने की तिथि से छह वर्ष बीत जाने के पश्चात आई.जी. निबंधन द्वारा संशोधन की अनुमति दी गई तथा प्रमाण पत्र 07.04.2014 को जारी किया गया, अतः यह नहीं कहा जा सकता कि संशोधन 07.04.2014 को ही भेजा गया था। प्रस्तुत है कि यह तथ्य भी न्यायालय के समक्ष गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया, जिसे याचिकाकर्ता के विरुद्ध संज्ञान लेते समय नजरअंदाज कर दिया गया।

8. श्री शाही ने यह भी कहा कि पांचवां और मुख्य आरोप, जो इस याचिकाकर्ता के खिलाफ अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों से परवाना भूमि की खरीद का है, यह बताया

गया है कि वही प्राथमिकी का विषय है, जिसे बोधगया थाना केस संख्या 334/2014 दिनांक 08.10.2014 के रूप में दर्ज किया गया था।

9. प्रस्तुत है कि उक्त प्राथमिकी राजेश कुमार उर्फ उमेश कुमार नामक सामाजिक कार्यकर्ता की लिखित सूचना के आधार पर दर्ज की गई है, जिन्होंने विद्वान विशेष न्यायाधीश, एससी/एसटी की अदालत में एक याचिका दायर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि शिकायतकर्ता याचिकाकर्ता को समाज से हटाने के लिए एक साजिश रच रहा है और उक्त इरादे से, उन्होंने प्राथमिकी दर्ज करने के लिए राजेश कुमार उर्फ उमेश कुमार के जाली हस्ताक्षर किए हैं। यह बताया गया है कि पुलिस ने जांच के बाद उपरोक्त मामले को झूठा पाया, लेकिन इस तथ्य को शिकायत याचिका के माध्यम से विद्वान अदालत के समक्ष नहीं उठाया गया था। यह भी बताया गया है कि याचिकाकर्ता की टाइटल सूट नंबर 81/2012 को दायर करने में कोई भूमिका नहीं थी, जहां शिकायतकर्ता द्वारा प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाने की प्रार्थना भी नीचे के विद्वान न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई है। यह भी बताया गया है कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जान से मारने की धमकी देना केवल आरोप को बढ़ाने के लिए है अन्यथा इसका याचिकाकर्ता से कोई संबंध नहीं है।

10. श्री शाही ने आगे कहा कि इस मामले में निचली अदालत ने बहुत ही लापरवाही से कार्यवाही की, जहां समन की तामील रिपोर्ट के बिना ही निचली अदालत ने याचिकाकर्ता के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी करने का निर्देश दिया। यह भी बताया गया कि याचिकाकर्ता अपने अधिवक्ता के माध्यम से निचली अदालत के समक्ष उपस्थित हुआ और द.प्र.स की धारा 205 के तहत अपनी याचिका अपने वकालतनामे के साथ दायर की, लेकिन व्यक्तिगत छूट की उपरोक्त याचिका पर निर्णय लिए बिना ही निचली अदालत ने याचिकाकर्ता के खिलाफ द.प्र.स की धारा 82 के तहत प्रक्रिया जारी कर दी। यह भी बताया गया कि इस बीच याचिकाकर्ता ने एबीपी संख्या 2530/2017 के तहत गया के विद्वान सत्र न्यायाधीश की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की, जिसे

26.03.2018 को खारिज कर दिया गया। प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता को 03.11.2018 को फरार घोषित किया गया था। श्री शाही द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता थाईलैंड का नागरिक है और बैंकॉक का अपना पता देकर शिकायत दर्ज की गई है, जहां अदालत द्वारा जारी समन कभी भी तामील नहीं हुए। यह बताया गया है कि याचिकाकर्ता, जो एक थाई नागरिक है, शिकायतकर्ता से विभिन्न प्रकार की धमकियों की आशंका करता है, जिसके कारण वह अपने मामले से संबंधित दस्तावेज एकत्र करने और अपना बचाव बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने में असमर्थ है और जब वह दस्तावेज एकत्र करने की प्रक्रिया में था, तो कोविड-19 महामारी फैल गई और याचिकाकर्ता नीचे की विद्वान अदालत की कार्यवाही को चुनौती देने के लिए कदम नहीं उठा सका। हालाँकि, याचिकाकर्ता ने आपराधिक विविध 11305/2021 को इस माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 04.11.2016 के संज्ञान लेने के आदेश को चुनौती देने के लिए प्रस्तुत किया गया था, लेकिन दिनांक 12.05.2022 के आदेश के तहत गैर-अभियोजन के कारण मामला खारिज कर दिया गया था।

11. श्री शाही ने तर्क समाप्त करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने कुछ गलतफहमी के कारण सोसायटी की प्रबंध समिति से अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, जहां सोसायटी के मुख्य दानदाता मुख्य निवास ने याचिकाकर्ता से अपना त्यागपत्र वापस लेने और प्रबंध समिति में संबंधित पद पर पुनः कार्यभार ग्रहण करने का अनुरोध किया, जहां दिनांक 05.07.2013 के पत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ता के पिछले प्रदर्शन, सोसायटी के प्रति समर्पण, ईमानदारी और निष्ठा को देखते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत त्यागपत्र को स्वीकार करने से इनकार कर दिया गया।

12. यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान शिकायत भी अप्रत्यक्ष उद्देश्य और दुर्भावनापूर्ण इरादे से दायर की गई प्रतीत होती है, ताकि याचिकाकर्ता को भारत आने और समाज के मामलों में भाग लेने से रोका जा सके। ऐसे सभी तथ्यों को देखते हुए, यह

विवाद मुख्य रूप से सोसायटी के महासचिव के चुनाव से उत्पन्न होता प्रतीत होता है, जहाँ उपरोक्त सभी आरोप अप्रत्यक्ष उद्देश्य से उठाए गए हैं और साथ ही यह किसी भी संज्ञेय अपराध का गठन नहीं करता है और इसलिए, संज्ञान के वर्तमान आदेश को कानूनी अनुपात के मद्देनजर रद्द/अलग रखा जाना चाहिए, जैसा कि **हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल और अन्य, 1992 के सप (1) एससीसी 335** में रिपोर्ट किया गया है।

13. इस स्तर पर, यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि शिकायत मामला संख्या 2042/2014 के संबंध में निचली अदालत की आगे की कार्यवाही पर इस न्यायालय की एक विद्वान समन्वय पीठ द्वारा पारित दिनांक 15.07.2024 के आदेश द्वारा रोक लगा दी गई थी।

14. उक्त स्थगन आदेश को ओ.पी. संख्या 2 द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी, लेकिन उसे विशेष अनुमति याचिका (सीआरएल) संख्या 13666/2024 के माध्यम से खारिज कर दिया गया था।

15. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका (सीआरएल) संख्या 13666/2024 के माध्यम से पारित दिनांक 05.11.2024 के आदेश को पुन: प्रस्तुत करना समीचीन होगा, जो निम्नानुसार है:-

> "वकील की बात सुनने के बाद, न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश दिया
>
> **<u>आदेश</u>**
>
> कई मुद्दे और विवाद उठाए गए हैं। हालांकि, हम वर्तमान विशेष अनुमति याचिका में नोटिस जारी करने के लिए इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि याचिकाकर्ता, बौद्ध थाई भारत सोसायटी, के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एक उचित आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र है, जहां मामला लंबित है। यदि ऐसा कोई आवेदन दायर किया जाता है, तो उस पर विचार किया जाएगा और कानून के

अनुसार शीघ्रता से निर्णय लिया जाएगा। यदि आवश्यक हो, तो याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय के समक्ष मामले का उल्लेख भी कर सकता है।

उपरोक्त बातों को दर्ज करते हुए, विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है। लंबित आवेदन(आवेदन), यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।"

16. माननीय सर्वोच्च न्यायालय की उपरोक्त टिप्पणी के मद्देनजर, मामले का उल्लेख किया गया और पक्षों की सहमति से अंतिम सुनवाई के लिए लिया गया।

17. माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा डब्लू पी(सी) संख्या 7190/2016 में पारित दिनांक 23.05.2017 के आदेश को पुनः उद्धृत करना समीचीन होगा, जो इस प्रकार है:-

"1. विदेश मंत्रालय की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने जवाबी हलफनामा दायर किया है। इसे रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है।

2. विदेश मंत्रालय के विद्वान वकील ने कहा कि मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों में कोई त्रुटि नहीं है और यदि कोई त्रुटि है, तो वह थाईलैंड सरकार द्वारा जारी किए गए पासपोर्ट में हो सकती है।

3. प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान वकील ने कहा कि थाईलैंड सरकार द्वारा जारी किए गए दस्तावेजों में त्रुटि को पहले ही उक्त सरकार द्वारा ठीक कर दिया गया है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने दलील दी है कि विदेश मंत्रालय के हलफनामे के मद्देनजर वह वर्तमान याचिका पर जोर नहीं देना चाहते हैं।

5. रिट याचिका को खारिज किया जाता है क्योंकि इस पर जोर नहीं दिया गया है।"

18. भजन लाल केस (ऊपर) के पैरा 102 को पुनः उद्धृत करना समीचीन होगा, जो इस प्रकार है:-

> **"102.** अध्याय XIV के तहत संहिता के विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या और इस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्ति या संहिता की धारा 482 के तहत निहित शक्तियों के प्रयोग से संबंधित निर्णयों की श्रृंखला में प्रतिपादित विधि के सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में, जिन्हें हमने ऊपर उद्धृत और पुनः प्रस्तुत किया है, हम उदाहरण के तौर पर मामलों की निम्नलिखित श्रेणियां देते हैं, जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है, हालांकि कोई सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से चैनलाइज्ड और अनम्य दिशानिर्देश या कठोर सूत्र निर्धारित करना संभव नहीं हो सकता है और असंख्य प्रकार के मामलों की एक विस्तृत सूची देना संभव नहीं है, जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।
>
> (1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया जाए और उनकी संपूर्णता में स्वीकार किया जाए, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता है या आरोपी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है।
>
> (2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट और प्राथमिकी के साथ दी गई अन्य सामग्री में लगाए गए आरोप किसी

संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, वहां पुलिस अधिकारियों द्वारा संहिता की धारा 156(1) के तहत जांच करना उचित है, सिवाय इसके कि संहिता की धारा 155(2) के दायरे में मजिस्ट्रेट के आदेश के तहत जांच की जाए।

(3) जहां प्राथमिकी या शिकायत में लगाए गए निर्विवाद आरोप और उनके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी अपराध के किए जाने का खुलासा नहीं करते हैं और आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनाते हैं।

(4) जहां प्राथमिकी में लगाए गए आरोप संज्ञेय अपराध नहीं बनाते हैं, बल्कि केवल असंज्ञेय अपराध बनाते हैं, वहां पुलिस अधिकारी द्वारा संहिता की धारा 155(2) के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना जांच की अनुमति नहीं है।

(5) जहां प्राथमिकी या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं, जिनके आधार पर कोई भी विवेकशील व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है) के किसी भी प्रावधान में कार्यवाही शुरू करने और जारी रखने पर स्पष्ट कानूनी रोक लगाई गई है और/या जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में कोई विशिष्ट

> प्रावधान है, जो पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करता है।
>
> (7) जहां आपराधिक कार्यवाही स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण तरीके से की जाती है और/या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से अभियुक्त पर बदला लेने के गुप्त उद्देश्य से और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे परेशान करने के उद्देश्य से शुरू की जाती है।"

19. ओ.पी. संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राणा विक्रम सिंह ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता के सचिव होने के कारण निधि के दुरुपयोग तथा प्रसिद्ध धार्मिक समाज के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप गंभीर है। यह प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता ने लगभग स्वीकार कर लिया है कि उसने निजी हैसियत से दान प्राप्त किया तथा चूंकि उसने डॉलर में दान प्राप्त किया था, इसलिए इसे रुपये में परिवर्तित करने के लिए उसके अपने खाते में स्वीकार कर लिया गया। यह भी प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता ने अनुसूचित जाति समुदाय की परवाना भूमि की खरीद को स्वीकार किया है, जिसके लिए पुलिस में मामला दर्ज किया गया था। यह भी प्रस्तुत किया गया कि सोसायटी के कार्यालय में चोरी की आड़ में दस्तावेज, रजिस्टर आदि उपलब्ध न कराने से इनकार कर दिया गया। यह प्रस्तुत किया गया कि ऐसी सभी *प्रथम दृष्टया* स्वीकारोक्ति के मद्देनजर, यह याचिका स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा जिस बचाव पर भरोसा किया गया है या उठाया गया है, उस पर इस स्तर पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह परीक्षण का विषय है।

20. अपने तर्क के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय की विधिक रिपोर्ट पर भरोसा किया है, जो **केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो बनाम आर्यन सिंह एवं अन्य**

(2023) 18 एससीसी 399 में उपलब्ध है, जहां पैराग्राफ संख्या 5 और 6 प्रासंगिक प्रतीत होते हैं, जो निम्नानुसार हैं:-

> "**5.** उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित सामान्य निर्णय और आदेश [आर्यन सिंह बनाम सीबीआई, 2022 एससीसी ऑनलाइन पी एंड एच 4158] को पढ़ने के बाद, जिसमें आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया गया था और अभियुक्तों को बरी कर दिया गया था, हम इस राय के हैं कि उच्च न्यायालय ने धारा 482 द.प्र.स के तहत सीमित शक्तियों और/या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों के प्रयोग में संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने में अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया है।
>
> **6.** उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित सामान्य निर्णय और आदेश [आर्यन सिंह बनाम सीबीआई, 2022 एससीसी ऑनलाइन पी एंड एच 4158] से, ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय ने अपने समक्ष कार्यवाही से इस तरह निपटा है, जैसे कि उच्च न्यायालय एक छोटा परीक्षण कर रहा था और/या उच्च न्यायालय विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश के खिलाफ आवेदनों पर विचार कर रहा था। मुकदमे के समापन पर। कानून के प्रमुख सिद्धांत के अनुसार, आपराधिक कार्यवाही के निर्वहन और/या निरस्तीकरण के चरण में, धारा 482 द.प्र.स के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायालय को मिनी ट्रायल आयोजित करने की आवश्यकता नहीं है। उच्च न्यायालय ने सामान्य विवादित निर्णय और आदेश में कहा है कि अभियुक्तों के खिलाफ आरोप साबित नहीं हुए हैं। यह वह चरण नहीं है जहां अभियोजन/जांच एजेंसी को आरोपों को साबित करने की आवश्यकता है। अभियोजन/जांच एजेंसी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के

आधार पर मुकदमे के दौरान आरोपों को साबित करना आवश्यक है।

21. श्री सिंह ने आगे कहा कि इससे पहले भी याचिकाकर्ता द्वारा संज्ञान आदेश और पूरी कार्यवाही को रद्द करने के लिए आपराधिक विविध 11305/2021 दिनांक 12.05.2022 के माध्यम से एक निरस्तीकरण याचिका दायर की गई थी, लेकिन इसे डिफ़ॉल्ट के लिए खारिज कर दिया गया था क्योंकि जब मामला बोर्ड में उठाया गया था तो याचिकाकर्ता की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ था। यह बताया गया है कि उपरोक्त आपराधिक विविध को बहाल करने के बजाय, याचिकाकर्ता बिना किसी औचित्य के वर्तमान याचिका दायर करना चुनता है। यह भी बताया गया है कि याचिकाकर्ता की अग्रिम जमानत याचिका को इस न्यायालय ने निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने के निर्देश के साथ खारिज कर दिया था, लेकिन इस न्यायालय के निर्देश को जानने के बाद भी याचिकाकर्ता जानबूझकर निचली अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ और उसके बाद, दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में ' द.प्र.स') की धारा 82 और 83 के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई और उसे विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा फरार घोषित कर दिया गया। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि फरार या घोषित अपराधी होने के नाते, याचिकाकर्ता माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी रिपोर्ट के मद्देनजर किसी भी तरह के विचार/राहत का हकदार नहीं है, जैसा कि **राज्य मध्य प्रदेश बनाम प्रदीप शर्मा (2014) 2 एससीसी 217** में रिपोर्ट किया गया था, जिसका पालन **श्रीकांत उपाध्याय और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य 2024 आईएनएससी 202** में भी किया गया था।

22. यह बताया गया है कि उपरोक्त तथ्यात्मक और कानूनी पहलुओं के मद्देनजर, **भजन लाल मामले** (ऊपर) के माध्यम से उपलब्ध कानूनी सिद्धांत इस याचिकाकर्ता की मदद नहीं करते हैं।

23. अभिलेख के अवलोकन तथा याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर ध्यान देने से *प्रथम दृष्टया* यह प्रतीत होता है कि

याचिकाकर्ता ने अपने निजी खाते में दान प्राप्त करना स्वीकार किया है, लेकिन अपने बचाव में कुछ औचित्य भी दिया है। याचिकाकर्ता ने यह भी स्वीकार किया है कि पूर्व के दस्तावेज तथा रजिस्टर ओ.पी. संख्या 2 को उपलब्ध नहीं कराए गए थे, लेकिन इसके लिए भी बचाव पक्ष ने यह तर्क दिया है कि सोसायटी के कार्यालय में चोरी हुई है। ऐसे सभी तथ्यों पर इस समय विचार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि बचाव पक्ष के इन कथनों पर केवल सुनवाई के दौरान ही विचार किया जा सकता है। याचिकाकर्ता को न्यायालय द्वारा स्थायी रूप से भगोड़ा घोषित किया गया था तथा इस न्यायालय द्वारा निचली अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करने के विशिष्ट निर्देश के बावजूद वह निचली अदालत के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहा।

24. उपरोक्त के मद्देनजर, वर्तमान निरस्तीकरण याचिका में कोई दम नहीं दिखता है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है। लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।

25. इस निर्णय की एक प्रति तत्काल विद्वान परिक्षण न्यायालय को भेजी जाए।

(चंद्र शेखर झा, न्यायमूर्ति)

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।